

डी०बी०टी० से सम्बंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. **प्रश्न:-** मैं अपना पंजीकरण कैसे करूँ ?

उत्तर:- पंजीकरण करने के लिए upagriculture.com site में “पंजीकरण करें” पर जाइए फिर

“ऑनलाइन पंजीकरण “पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

2. **प्रश्न:-** पंजीकरण की फीस कितनी है ?

उत्तर:- पंजीकरण पूर्णतया निशुल्क है।

3. **प्रश्न:-** पंजीकरण के लिए किन कागजों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर:- पंजीकरण करने के लिए तीन कागजों की आवश्यकता होती है

१-आधार कार्ड

२-खतौनी

३-बैंक पास बुक के पहले पेज की कॉपी

4. **प्रश्न:-** कृषि विभाग में पंजीकरण का क्या लाभ है ?

उत्तर:- कृषि विभाग द्वारा बीजों पर, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों, व कृषि रक्षा उपकरणों

पर अनुदान दिया जाता है। पंजीकरण के साथ ही आप अपनी मांग कर सकते हैं। यह

अनुदान केवल पंजीकृत कृषको को ही उपलब्ध है।

5. **प्रश्न:-** पंजीकरण की रसीद कहाँ से मिलेगी ?

उत्तर:- पंजीकरण की रसीद के लिए upagriculture.com site पर “पंजीकरण करें” पर

जाइए फिर “ऑनलाइन पंजीकरण करें” को क्लिक कर “किसान पावती के लिए जनपद

चुने” से पंजीकरण पावती का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

6. **प्रश्न:-** मेरा पंजीकरण संख्या खो गया है मैं अपना पंजीकरण संख्या कैसे जानूँ ?

उत्तर:- पंजीकरण संख्या जानने के लिए upagriculture.com site के बाये ओर “किसान

सहायता” के आप्शन से “अपना पंजीकरण नंबर जाने” से पंजीकरण संख्या जान सकते हैं।

7. **प्रश्न:-** मेरे बैंक खाते में अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है मैं अपने अनुदान के प्रगति कैसे जानू ?
- उत्तर:-** इसके लिए upagriculture.com site के बाये ओर “अनुदान खाते भेजने की प्रगति जाने” आप्शन से जनपद, ब्लाक और किसान पंजीकरण संख्या डालकर देख सकते है
8. **प्रश्न:-** गन्ना विभाग के लिए पंजीकरण कैसे करे ?
- उत्तर:-** गन्ना विभाग के लिए भी कृषि विभाग वाला पंजीकरण प्रयोग किया जाता है, यदि कृषि विभाग वाला पंजीकरण भी नहीं हुआ है तो upagriculture.com site पर “ऑनलाइन पंजीकरण करे” में “गन्ना विभाग की योजनाओ हेतु” में “ऑनलाइन पंजीकरण करे “ में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं I
9. **प्रश्न:-** सोलर पंप का ड्राफ्ट कैसे अपलोड करे ?
- उत्तर:-** इसके लिए upagriculture.com site पर “पोर्टल पर नवीन अपडेट” के आप्शन में “पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पंप पाओ “ से बैंक ड्राफ्ट अपलोड कर सकते है
10. **प्रश्न:-** पंजीकरण करते समय भूमि आदि का विवरण गलत फीड हो गया है तो क्या करे ?
- उत्तर:-** भूमि संशोधन के लिए जनपद पर उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर संशोधन करा सकते हैं I
11. **प्रश्न:-** यन्त्र के लिए चयन हो गया है मेसेज भी आ गया है आगे क्या करे?
- उत्तर:-** चयन का messege प्राप्त करने के पश्चात upagriculture.com site पर चयन पत्र डाउनलोड करे, फिर चयन पत्र के अनुसार यंत्र की क्रय रसीद पोर्टल पर नियत समय के अन्दर अपलोड कर दें I
12. **प्रश्न:-** अनुदान कैसे प्राप्त होगा ?
- उत्तर:-** आपके द्वारा जो भी बीज आदि क्रय किया गया है अथवा चयन पत्र के अनुसार जो बिल अपलोड किया गया है उसके सत्यापन पत्र के उपरान्त अनुदान की धनराशि सीधे पके बैंक खाते में अधिकतम 15 दिनों के अन्दर हस्तान्तरित कर डी जाएगी I
13. **प्रश्न:-** यदि पोर्टल पर अनुदान की राशि खाते में पहुंची हुई दिखाई दे रही है लेकिन किसान के खाते में नहीं आई है तो इसके लिए क्या करे ?

उत्तर:- इसके लिए निम्न कागजों के साथ जनपद पर सम्पर्क करें –

1. बैंक पास बुक की अपडेटेड कॉपी
2. रसीद (बीज खरीदते समय जो रसीद प्राप्त की थी)